

## उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

### प्रलिस के लिये:

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP), गन्ना ।

### मेन्स के लिये:

कृषि मूल्य निर्धारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उत्पादन, गन्ना उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया जो चीनी मलों को दो चरणों में मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा ।

## प्रमुख बिंदु

### सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में बदलाव:

- पहली कश्त का भुगतान गन्ने की डलिवरी के 14 दिनों के भीतर करना होगा और यह ज़िले की औसत वसूली (Average Recovery Of The District) के अनुसार होगा ।
- अंतिम वसूली की गणना के बाद मलि बंद होने के 15 दिनों के भीतर मलि द्वारा किसानों को दूसरी कश्त का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उत्पादित चीनी और 'बी हेवी' (B Heavy) या 'सी' शीरे ('C' Molasses) से उत्पादित इथेनॉल को ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा ।
- इस प्रकार पछिले सीज़न के FRP पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को मौजूदा सीज़न की वसूली के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

### महाराष्ट्र में किसानों के वरिध का कारण:

- किसानों का तर्क है कि इस पद्धति से उनकी आय प्रभावित होगी तथा FRP का भुगतान कश्तों में किया जाएगा जिसमें काफी अंतर वदियमान होगा, साथ ही उसमें पूरव की तरह बैंक ऋण और अन्य खर्चों का भुगतान शामिल होने की उम्मीद है ।
- किसानों को एकमुश्त धनराशि की आवश्यकता ज़्यादातर मौसम की शुरुआत (अक्टूबर-नवंबर) में होती है क्योंकि उनका अगला फसल चक्र इसी पर निर्भर करता है ।

### FRP के बारे में:

- FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मलों किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिये बाध्य हैं ।
  - मलों के पास किसानों के साथ समझौते के लिये हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मलों द्वारा किसानों को कश्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है ।
  - भुगतान में देरी पर 15% तक प्रतिवर्ष ब्याज लग सकता है और चीनी आयुक्त (Sugar Commissioner) मलों की संपत्तियों को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में अदत्त एफआरपी (Unpaid FRP) की वसूली कर सकते हैं ।
- देश भर में FRP का भुगतान [आवश्यक वस्तु अधिनियम \(EAC\), 1955](#) के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गन्ने की डलिवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है ।
- यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सफ़ारिश के आधार निर्धारित तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है ।
  - CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । यह एक सलाहकार निकाय है, अतः इसकी सफ़ारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं ।
  - CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है ।

- FRP [गन्ना उद्योग](#) के पुनर्र्गठन को लेकर **रंगराजन समिति** की रिपोर्ट पर आधारित है।

## FRP की घोषणा हेतु प्रमुख कारक:

- गन्ना उत्पादन की लागत।
- वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषिविस्तृतुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।
- चीनी उत्पादकों द्वारा बेची गई चीनी का मूल्य।
- गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा।
- उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्त अर्थात् गुड़, खोई और उन पर आरोपित मूल्य।
- गन्ना उत्पादकों के लिये जोखिम और मुनाफे के कारण उचित मार्जनि।

## FRP का भुगतान:

- FRP का भुगतान **गन्ने से प्राप्त चीनी** पर आधारित है।
  - चीनी सीज़न 2021-22 के लिये 10% की बेस रिकवरी पर FRP 2,900 रुपए प्रतिटन तय किया गया है।
- **चीनी की रिकवरी (Sugar Recovery) उत्पादित चीनी तथा गन्ने की पेराई** के अनुपात के बराबर होती है, जसि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- रिकवरी जतिनी अधिक होगी, FRP उतना ही अधिक होगा तथा चीनी का उत्पादन अधिक होगा।

## गन्ना (Sugarcane):

- **तापमान** : उषण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- **वर्षा** : लगभग 75-100 सेमी।
- **मिट्टी का प्रकार** : गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।
- **शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश> महाराष्ट्र> कर्नाटक> तमिलनाडु> बिहार।
- ब्राज़ील के बाद **भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
- यह **चीनी**, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है।
- **चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं-** चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता योजना (SEFASU) और **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति** गन्ना उत्पादन योजना।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस